

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 949]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2025 — अग्रहायण 20, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 दिसम्बर 2025

अधिसूचना
संख्या 17/2025—राज्य कर

F.N. RULE/808/2025-COMTAX SECTION (92). - छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटीआर-3-ख में रिटर्न प्रस्तुत करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है—

- (i) धारा 39 की उपधारा (1), सितंबर, 2025 माह के लिए, अक्टूबर 2025 के पच्चीसवें दिन तक।
- (ii) धारा 39 की उपधारा (1) का परन्तुक, जुलाई, 2025 से सितंबर, 2025 की तिमाही के लिए, अक्टूबर 2025 के पच्चीसवें दिन तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के. सिंह, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 दिसम्बर 2025

F.N. RULE/808/2025-COMTAX SECTION (92). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.N. RULE/808/2025-COMTAX SECTION (92), दिनांक 10-12-2025 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के. सिंह, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 10th December 2025

NOTIFICATION
No. 17/2025-State Tax

F.N. RULE/808/2025-COMTAX SECTION (92). - In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the return in FORM GSTR-3B electronically, through the common portal, by the registered person, as specified under :-

- (i) sub-section (1) of section 39, for the month of September, 2025, till twenty-fifth day of October, 2025:
- (ii) proviso to sub-section (1) of section 39, for the quarter of July, 2025 to September, 2025, till twenty-fifth day of October, 2025.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S.K. SINGH, Deputy Secretary.